



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

योगेन्द्र नाथ महतो

वनाम मनोज महतो वगैरे

T-8

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
	<p>अभिलेख सं०-एम.....6.4...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-11/18 दिनांक-1-4-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खाता क्र० 100 प्लॉट न०-148) रक्बा 1480 मध्ये 09500 भूमि को लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 11-06-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	

11-06-18

पीएमडीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। दिनांक 20-06-18 को रखे।

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

25-01-19

अभिलेख अस्थापित। प्रथम पत्र
 उपरिष्ठित दिनांक पत्र क्रमांक 01, 03
 उपरिष्ठित क्रमांक 02 अस्थापित। उक्त
 पत्र में 6 (छः) माह की अवधि
 पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वादकालवाप्त
 हो गया है।
 अतः वाद में अभिलेख की कारवाही
 बन्द की जाती है।


 25/1/19